

सी.जी.-डੀ.एल.-अ.-27052020-219593 CG-DL-E-27052020-219593

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] No. 237] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ट 5, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 5, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

सा.का.नि. 311(अ).—केन्द्रीय सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28ग और धारा 28घ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निवंधन और शर्ते एवं भत्ते नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें एवं भत्ते (संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें एवं भत्ते नियम, 2006 के उपनियम (8) में, उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा"।

[फा. सं. 1/15/2010-पी1 (खंड.2)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ), तारीख 27 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 5 मार्च,2009, सा.का.नि. 8 (अ), तारीख 10 जनवरी, 2012, सा.का.नि. 32(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 148(अ), तारीख 8 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

- G.S.R. 311 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (2) of section 29A, read with Section 28C and Sub-section (1) of section 28D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chartered Accountants Procedure of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chartered Accountants Procedure of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board (Amendment) Rules, 2020.
- (2), They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Chartered Accountants Procedure of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006, in sub-rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely:-
 - "(1) The tenure of the Chairperson and the Members of the Board shall be three years".

[F.No.1/15/2010-PI (Vol.II)]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number GSR 735(E), dated the 27th November, 2006 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 152(E), dated the 5th March, 2009, G.S.R. 8(E), dated the 10th January, 2012, G.S.R. 32(E), dated the 16th January, 2014 and G.S.R. 148(E), dated the 08th February, 2016.